मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 105वीं बोर्ड बैठक दिनांक 29—12—2022 की कार्यवाही

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून की 105वीं बोर्ड बैठक दिनांक 29–12–2022 में अधिकारियों की **उपस्थिति :–**

1.	श्री सुशील कुमार, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।	अध्यक्ष
2.	सुश्री सोनिका, उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून/जिलाधिकारी, देहरादून।	सदस्य
3.	श्री राजेन्द्र सिंह पतियाल, संयुक्त सचिव, आवास विभाग।	सदस्य (सचिव आवास के नामित प्रतिनिधि)
4.	श्री पूरन गिरि, अनु सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन,	सदस्य (सचिव वित्त के नामित प्रतिनिधि)
5.	श्री एस0 एम0 श्रीवास्तव, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड।	सदस्य
6.	श्री रवीन्द्र कुमार दयाल, सहा0 नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून	सदस्य (नगर आयुक्त, नगर निगम के नामित प्रतिनिधि)

अन्य उपस्थिति

1. श्री मोहन सिंह बर्निया, सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
2. श्री रजा अब्बास, संयुक्त सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
3. श्रीमती स्मृति खण्डूरी, मुख्य लेखाधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण।
4. श्री एच0सी0एस0 राणा, अधीक्षण अभियंता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5. श्री सुनील कुमार, अधिशासी अभियंता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
6. श्री अजय माथुर, अधिशासी अभियंता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
7. श्रीमती गीता खुल्बे, विशेषज्ञ समन्वयक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 द्वारा अध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण/आयुक्त गढ़वाल मण्डल को पुष्पगुच्छ प्रदान करते हुए स्वागत किया गया तथा सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। इसके पश्चात् सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण की 104वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28–09–2022 में लिये गये निर्णय की अनुपालन आख्या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसकी सर्व सम्मति से पुष्टि की गयी एवं प्राधिकरण की 105वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा बिन्दु को पढ़ने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक 1:– **देहरादून महायोजना–2041 के प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में।**

बोर्ड के समक्ष मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा देहरादून महायोजना–2041 (ड्राफ्ट) का प्रस्तुतीकरण किया गया। बोर्ड के सदस्यों द्वारा महायोजना का प्रस्तुतीकरण का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि महायोजना में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिये प्रस्ताव रखे जायें तथा इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन, गैस पाइप लाइन, सार्वजनिक पार्किंग स्थल, कम्युनिटी फैसिलिटी आदि के प्रस्ताव को महायोजना में दर्शाया जाये। उपरोक्त सभी प्रस्तावों को महायोजना में दर्शाते हुये संशोधित महायोजना–2041 का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाये, क्योंकि महायोजना नगर विकास विभाग की अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की जा रही है, जो कि सम्भावित है, अतः महायोजना–2041 के ड्राफ्ट की एक प्रति निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित की जाये।

उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि भूकम्प की फॉल्ट लाइन को संज्ञान में रखते हुये वाडिया इंस्टीट्यूट, देहरादून को पत्र प्रेषित किया जाये व तद्नुसार इसका अंकन भी महायोजना में किया जाये।

विषय क्रमांक 2:– **भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) में 500 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल में एकल आवासीय भवनों हेतु उपविधि में वर्णित सेटबैक एवं भू–आच्छादन के परिप्रेक्ष्य में विकल्प के रूप में National Building Code-2016 (वर्तमान में प्रचलित/यथा समय–समय पर अद्यतन कोड) के प्राविधानों को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।**

बोर्ड के समक्ष शासन के पत्र संख्या Hous2-MS/1/92/2022-v-2-Aawas Department (Computer No 33107) (66339/2022) दिनांक 27.09.2022 प्रस्तुत किया गया, जिसके द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) में 500 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल में एकल आवासीय भवनों हेतु उपविधि में वर्णित सेटबैक एवं भू–आच्छादन के परिप्रेक्ष्य में विकल्प के रूप में National Building Code-2016 (वर्तमान में प्रचलित/यथा समय–समय पर अद्यतन कोड) के प्राविधानों को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया तथा सर्व सम्मति से शासनादेशानुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) को यथावत अंगीकृत किया गया।

विषय क्रमांक 3:– **उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अध्याय–3 बिन्दु संख्या–3.3 (VI) एवं अध्याय–7 के बिन्दु संख्या–7.14 (I) में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।**

बोर्ड के समक्ष शासन के पत्र संख्या Hous2-MS/1/11/2022-v-2-Aawas Department (Computer No 7060) (72684/2022) दिनांक 25.10.2022 प्रस्तुत किया गया, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अध्याय–3 बिन्दु संख्या–3.3 (VI) एवं अध्याय–7 के बिन्दु संख्या–7.14 (I) में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया तथा सर्व सम्मति से शासनादेशानुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) को यथावत अंगीकृत किया गया।

विषय क्रमांक 4:– **प्राधिकरण की आमवाला तरला स्थित 'आल्यम्' आवासीय परियोजना के HIG, MIG & Studio Dwelling Units (DUs) के हेतु शेष कार्यों को एच0आई0जी0 आई0एस0बी0टी0 आवासीय योजना की तर्ज पर कराये जाने के सम्बन्ध में।**

बोर्ड को अवगत कराया गया कि आमवाला तरला स्थित प्राधिकरण की निर्माणाधीन 'आल्यम्' आवासीय परियोजना का निर्माण कार्य किये जाने हेतु हिन्दुस्तान स्टीलवर्क कन्सट्रक्शन लि0 (HSCL) को नियुक्त किया गया। प्राधिकरण द्वारा योजना हेतु रू0 124.06 करोड़ का डी0पी0आर0 अनुमोदित है। फर्म (HSCL) द्वारा योजना का निर्माण कार्य 18 माह के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना निर्धारित था, परन्तु निर्धारित अवधि के अन्तर्गत फर्म द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण न किये जाने एवं फर्म द्वारा समय–समय पर किये गये अनुरोध के क्रम में प्राधिकरण द्वारा कार्य हेतु समयवृद्धि प्रदान की गयी, किन्तु समयवृद्धि के उपरान्त भी फर्म (HSCL) द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया, जिसको दृष्टिगत रखते हुये निर्णय लिया गया है कि एच0आई0जी0, एम0आई0जी0 व स्टूडियो इकाइयों का निर्माण फर्म (HSCL) द्वारा नहीं किया जायेगा तथापि ई0डब्ल्यू0एस0, एल0आई0जी0, STP, Substation, Sewage line, External Lighting, Strom Water Drain, Internal Road, Cabling work, External Fire Fighting Work आदि कार्य/सुविधायें जो कि ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 ब्लॉक्स के लिये अनिवार्य है, को फर्म (HSCL) द्वारा 31 मार्च, 2020 तक पूर्ण किये जाने हेतु पत्र संख्या 488/2019 दिनांक 20/12/2019 के माध्यम से प्राधिकरण को हस्तगत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त हेतु अवगत कराया जाना है कि "आल्यम्" आवासीय योजना के HIG, MIG & Studio Dwelling Units (DUs)के Bulk Selling किये जाने हेतु 96वीं बोर्ड बैठक 24/06/2019 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। बैठक कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 19 द्वारा प्राप्त अनुमोदन (संलग्न) के क्रम में दिनांक 24/07/2019 एवं दिनांक 19/08/2019 को EOI का प्रकाशन समाचार पत्रों एवं ई–टेण्डरिंग वेबसाइट www.uktender.gov.in' एवं प्राधिकरण की वेबसाइट

www.mddaonline.in द्वारा किया गया था, जिसमें निर्धारित दिनांक 06/08/2019 तक कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ, जिस हेतु पुनः प्रकरण को प्राधिकरण की 98वीं बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया गया, जिसमें बोर्ड द्वारा समिति गठित करते हुए समिति की आख्या प्राप्त होने के उपरांत ही अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त के क्रम में गठित समिति की आहूत बैठक दिनांक 20/03/2021 के कार्यवृत्त (संलग्न) के बिन्दु संख्या–9 के अनुसार 'आल्यम्' आवासीय योजना (HIG, MIG & Studio)को Bulk Selling न करते हुए परियोजना के शेष कार्यों को एच0आई0जी0 आई0एस0बी0टी0 आवासीय परियोजना की तर्ज पर किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि हिन्दुस्तान स्टीलवर्क कन्सट्रक्शन लि0 (HSCL) के द्वारा किये गये कार्यों की लागत, भुगतान एवं अवशेष कार्यों की लागत का मूल्यांकन कर लिया जाये व तद्नुसार आगामी बोर्ड बैठक में सुसंगत प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जाये। इस हेतु निम्नानुसार एक समिति का गठन किया गया जो एक माह के अन्दर उपरोक्तानुसार विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेगी। –

1– मुख्य लेखाधिकारी, म0दे0वि0प्रा0
2– श्री सुनील कुमार, अधिशासी अभियंता, म0दे0वि0प्रा0
3– श्री शशांक सक्सेना, सहायक अभियंता, म0दे0वि0प्रा0

विषय कमांक 5:– इंदिरा मार्केट रि–डेवलपमेंट परियोजना हेतु प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र की अवधि विस्तार के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम के बिंदु संख्या– 1.2.3 के अनुसार Bye-Laws में दिये गये प्रावधानों में शिथिलता प्रदान करने का अधिकार शासन में निहित होने के फलस्वरूप सम्पूर्ण विवरण सहित प्रकरण शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।

विषय कमॉक 6:– श्रीमती उषा शुक्ला को प्राधिकरण की नवयुग एन्क्लेव इन्दिरापुरम फेज–3 में भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में।

प्रकरण के सम्बन्ध में बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की नवयुग एन्क्लेव इन्दिरापुरम योजना फेज 3 में निर्मित भवनों के बीच में पूर्व में कुछ रिक्त भूमि अवशेष रह गयी थी जिसमें प्राप्त 03 भूखण्ड का पृथक से ले–आउट तैयार कर वर्ष 2007 में भूखण्ड संख्या 02 के आवंटन हेतु आवेदन के कम में श्रीमती शुक्ला द्वारा स्थलीय निरीक्षण उपरान्त अपने आवेदन पत्र दिनॉक 07–11–2008 में कुल 11 आपत्तियॉ उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में इंगित करते हुये भूखण्ड संख्या 01 व 02 को मिलाकर हाईटेंशन लाइन के नीचे वाली भूमि को छोड़ते हुये शेष भूखण्ड को एक समकोणीय चतुर्भुज के रूप में सीमांकन करते हुये भूखण्ड के आवंटन का अनुरोध किया गया।

वर्तमान में श्रीमती शुक्ला के पुनः प्रत्यावेदन एवं बोर्ड के समक्ष उपस्थिति के दौरान अध्यक्ष महोदय के निर्देशो के कम में प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत भूखण्ड पर चारदीवारी एवं दो छोटे गेट विद्यमान पाये गये हैं व चारदीवारी के अन्दर ऑवला, हल्दी एवं कुछ लतायें लगी हुयी पाई गयी हैं, प्रश्नगत भूखण्ड का क्षेत्रफल 319.27 वर्गमीटर मापा गया है। उक्त भूखण्ड का आवंटन श्रीमती शुक्ला अपने पक्ष में वर्तमान सर्किल दर पर आवंटन करने हेतु प्रार्थना कर रही हैं। बोर्ड को अवगत कराया गया कि श्रीमती शुक्ला द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि वे वर्ष 1997 में गोरखपुर विकास प्राधिकरण में सचिव के पद पर तैनात रही। तद्नुसार ही उनके द्वारा वर्ष 2006 में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन किया गया तथा भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत की एक मुश्त छूट हेतु आवेदन किया गया।

विचार–विमर्श के उपरांत उक्त भूखण्ड जिस रूप में है, उसी रूप में श्रीमती शुक्ला के पक्ष में आवंटित करते हुये वर्तमान सर्किल रेट पर भूखण्ड का आंकलन किये जाने तथा तद्नुसार ही शासनादेश संख्या 4049/9–आ–1–99/16/1998 आवास अनुभाग–1, लखनऊ दिनांक 19 अक्टूबर, 1999 में निहित प्राविधानों के अनुरूप 10 प्रतिशत की एक मुश्त छूट प्रदत्त किये जाने का निर्णय लिया गया। श्रीमती शुक्ला से इस आशय का शपथ पत्र भी प्राप्त कर लिया जाये कि उनके द्वारा अपनी सेवाकाल में प्राधिकरण से इस प्रकार की कोई सुविधा प्राप्त नहीं की गयी है।

विषय कमॉक 7:– मसूरी विधान सभा के अर्न्तगत देहरादून क्षेत्र स्थित गढ़ी कैन्ट में सामुदायिक भवन के निर्माण के सम्बन्ध में।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि मसूरी विधान सभा के अर्न्तगत देहरादून क्षेत्र स्थित गढ़ी कैन्ट में सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा घोषणा सं0 32/2021 की गयी हैं। इसी क्रम में शासन द्वारा प्राधिकरण के वित्तीय संसाधनों से उक्त घोषणा का क्रियान्वयन/पूर्ति कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। प्राधिकरण की गत बोर्ड बैठक दिनांक 28.9.2022 में विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि मसूरी विधान सभा के अन्तर्गत देहरादून क्षेत्र स्थित गढी कैन्ट में सामुदायिक भवन का निर्माण मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाये तथा यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त सामुदायिक भवन के संचालन हेतु शासन से मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया जाये। बोर्ड के उक्त निर्णय के क्रम में प्राधिकरण द्वारा संचालन हेतु शासन से मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने हेतु पत्र संख्या 2286/अभि0/2022–23 दिनांक 27.12.2022 प्रेषित किया गया है।

पूर्व में माननीय मंत्री कृषि एवं कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड़ शासन द्वारा अपने पत्र सं0 160/वी0आई0पी0 दिनांक 19.04.2021 के द्वारा उक्त सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था के तौर पर परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड़ पेयजल निगम विकासनगर देहरादून को नामित करने हेतु निर्देश दिये गये थे। पेयजल निगम द्वारा माननीय मंत्री जी के निर्देश पर अपने पत्र सं0 390/प्राक्कलन दिनांक 30.04.2021 के द्वारा उक्त कार्य की डी0पी0आर0 धनांक रू0 1275.57 लाख की प्राधिकरण को प्रस्तुत की गयी है।

बोर्ड को यह भी अवगत कराया गया कि यदि उक्त सामुदायिक भवन का निर्माण परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड़ पेयजल निगम विकासनगर देहरादून को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया जाता है तो उक्त निर्माण हेतु सेन्टेज चार्ज के रूप में धनांक रू0 93.82 लाख अतिरिक्त भुगतान करना होगा। विचार–विमर्श के उपरांत बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की पूर्व बैठक दिनांक 28–09–22 के विषय क्रमांक–73 पर लिये गये निर्णय के अनुसार ही उक्त सामुदायिक भवन का निर्माण प्राधिकरण द्वारा किया जाये एवं इसके संचालन के सम्बन्ध में पुनः मार्गदर्शन हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाये।

विषय क्रमांक 8:– **मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0127/22–23 ग्राफिक ईरा एज्यूकेशनल सोसाईटी द्वारा–सचिव, श्री कमल घनशाला पुत्र श्री रमेश चन्द्र घनशाला खसरा नम्बर 596, 597, 597मि0, 598, 599 600 एंव 600/1 मौजा भारूवाला ग्रान्ट परगना सेन्ट्रलदून, देहरादून पर शैक्षिक संस्थान भवन (एडिशन/अल्र्टेशन) निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान बोर्ड को अवगत कराया गया कि मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0127/22–23 ग्राफिक ईरा एज्यूकेशनल सोसाईटी द्वारा– सचिव, श्री कमल घनशाला पुत्र श्री रमेश चन्द्र घनशाला खसरा नम्बर 596, 597, 597मि0, 598, 599 600 एंव 600/1 मौजा भारूवाला ग्रान्ट परगना सेन्ट्रलदून, देहरादून में शैक्षिक संस्थान भवन (एडिशन/अल्र्टेशन) निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। नगर महायोजना में प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग 9.00मी0 के उपरान्त आवासीय में निर्धारित है तथा विनियमानुसार विश्वविद्यालय हेतु आवश्यक मार्ग चौडाई 18.00 मीटर के सापेक्ष वर्तमान मार्ग चौडाई 12.00मीटर उपलब्ध है। अतः मार्ग चौडाई में 6.00 मीटर (33.33 प्रतिशत) की शिथिलता की आवश्यकता है। शासनादेश संख्या–1311/V–2/21–10 (आ0)/2020 दिनांक 26.07.2021 के अनुसार 25 प्रतिशत से अधिक 50.00प्रतिशत तक की शिथिलता उडा द्वारा अनुमन्य है।

प्रकरण में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि स्थल का निरीक्षण कर लिया जाये व तद्नुसार औचित्यपूर्ण व अपरिहार्य स्थिति का प्रमाण सहित मार्ग में शिथिलीकरण हेतु उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून को प्रकरण सन्दर्भित किया जाये।

विषय क्रमांक 9:– **संस्थापक पुनर्नवा योग फाउन्डेषन, ग्राम भितली किमाडी मौजा नलियाना, मसूरी द्वारा पूर्व निर्मित भवन की ऊचाई में एक तल अर्थात 04 मी0 की शिथिलता प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण का तकनीकी परीक्षण मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड से करवा लिया जाये व सम्पूर्ण विवरण सहित प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

अनुपूरक विषय क्रमांक 1:—देहरादून (पुरूकुल गांव) से मसूरी (लाइब्रेरी चौक) तक रोप—वे परियोजना के विकास शुल्क माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।

विचार—विमर्श के उपरांत उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद देहरादून द्वारा देहरादून (पुरूकुल गांव) से मसूरी (लाइब्रेरी चौक) तक रोप—वे परियोजना हेतु मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा आरोपित रू0 3,78,36,337.00 विकास शुल्क और अन्य शुल्कों को माफ किये जाने एवं प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत पर्यटन विभाग को किश्तों में उक्त शुल्क का भुगतान किये जाने हेतु सूचित कर दिया जाये व इसकी सूचना शासन को भी प्रेषित की जाये।

अनुपूरक विषय क्रमांक 2:— मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0443/22—23 श्री राहुल सिंह पंवार पुत्र श्री प्रीतम सिंह पंवार एंव श्री सचिन कुमार पुत्र श्री अनिल कुमार द्वारा खसरा नम्बर 1087 KHA, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096KHA, 1102, 1103, 1111, 1112, 1113KA मौजा मिस्रासपट्टी, तहसील विकासनगर जिला देहरादून में ईको रिजॉर्ट निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार—विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण का तकनीकी परीक्षण मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड से करवाते हुये तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जाये।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी मा0 सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

(सोनिका)
उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

(सुशील कुमार)
अध्यक्ष
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।